

**कार्यालय कलेक्टर जिला रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा
प्रबंधन विभाग
प्रारंभिक अधिसूचना**

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक: 53/अ-82/2014-15 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची के कालम (1) से (5) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कालम (7) में दर्शित प्रयोजन के लिए आवश्यकता होने पर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के उपबंधों के अनुसार अधिग्रहण हेतु छ. ग. के राजपत्र में दिनांक 3-6-2016 को प्रकाशित किया गया था। ग्राम कोतरलिया के प्रकरण में प्रस्तावित एलायमेंट नक्शे में पायी गई त्रुटि एवं अधिक संख्या में प्रस्तुत दावा/आपत्तियों के निराकरण में होने वाले विलम्ब के कारण प्रकरण में दिनांक 03.06.2017 तक नियत समयावधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका। अतएव उक्त अधिनियम की धारा 25 में वर्णित प्रावधानों एवं प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान अनुसार समयसीमा वृद्धि की जाती है एवं जनसाधारण हेतु सूचना प्रकाशित/प्रदर्शित की जाती है।

दिनांक 04/6/2017

अनुसूची

भूमि का विवरण					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम / प.ह.नं.	कुल खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल (हे. में)		
1	2	3	4	5	6	7
रायगढ़	रायगढ़	कोतरलिया प.ह.नं. 40	155	22.724	महाप्रबंधक एन.टी.पी.सी. तलाईपाली कोल माइंस परियोजना घरघोड़ा जिला- रायगढ़	एन.टी.पी.सी. कोल माइनिंग परियोजना के रेल लाईन निर्माण हेतु भू-अर्जन

प्रतिहस्ताक्षर

भू-अर्जन अधिकारी एवं
मुख्यालयीय अधिकारी (रा.)
रायगढ़ (छत्तीसगढ़)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(शम्भू आशिदी)

कलेक्टर रायगढ़ एवं पदेन उप सचिव
छ.ग.शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग